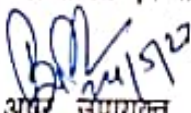


अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज
आर०एम०ए० वाद संख्या:- 26/2018-19
चन्दन हॉसदा एवं अन्य-बनाम-देवेन्द्र प्रसाद ठाकुर

क्रमांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अपीलार्थी- चन्दन हॉसदा, पिता-हीरालाल हॉसदा, मधु मल्लिक, पिता-स्व० मेघना मल्लिक, राजकुमार, पिता-स्व० जगदीश गुप्ता, गंगा माल, पिता-स्व० शम्भु माल, रूपेन माल, पिता-स्व० भक्तु माल, दशरथ मल्लिक, पिता-लखु माल, रामेश्वर मल्लिक, पिता-सिरिस माल, गंगिया मल्लिक, पति-स्व० शंकर माल, दुखनी देवी, पति-स्व० कल्लु साह, सुगा देवी, पति-स्व० मधु मल्लिक, आरती देवी, पति-डुया मल्लिक, बेहुला देवी, पति-रामेश्वर मल्लिक, भादु मल्लिक, पिता-स्व० विश्वनाथ माल, संतोष मल्लिक, पिता-स्व० ज्योतिष मल्लिक एवं गंगिया मल्लिक, पिता-स्व० सिरिस माल, ग्राम-छोटा खुटहरी, थाना-राजमहल, जिला-साहेबगंज ने आवेदन प्रस्तुत कर सूचित किया है कि मौजा- खुटहरी, जनाबंदी नं०-150, दाग नं०-308 रकबा-00-11-10 धूर जमीन जो बन्दोबस्ती से संबंधित है में अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा बन्दोबस्ती सम्पुष्टि वाद सं०-06/2014-15 आदेश, दिनांक- 14.02.2015 को पारित आदेश के आलोक में अपील दायर किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु अपीलार्थी एवं विपक्षी स्वयं या विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद से संबंधित कोई भी लिखित बहस या दलील प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि विगत कई वर्षों से उक्त वाद में उभय पक्ष अनुपस्थित रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतएव बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।	